न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 64 / 2023

1 गिरधारी पुत्र सुरजाराम उम्र 75 साल जाति माली निवासी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 किशनलाल पुत्र तेज़ाराम आयु 40 साल जाति माली निवासी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 रामप्रकाश पुत्र तेजाराम उम्र 35 साल जाति माली निवासी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 महावीर पुत्र मुखा
2 महेन्द्र पुत्र मुखा
3 छोटू पुत्र मुखा
4 मुकेश पुत्र बनवारी
5 मनोज पुत्र बनवारी
6 इन्द्रा देवी पुत्री बनवारीलाल
7 कमलो देवी पुत्री बनवारीलाल
8 मुन्नी देवी पुत्री बसन्ती
9 मनोहरी पुत्री तेजाराम
10 संतोष पुत्री तेजाराम
11 संतोष पुत्री बनवारीलाल
12 सुवा देवी पुत्री बसन्ती
13 सुगनी देवी पत्नी तेजाराम
समस्त जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 32 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

14 भूमिधारक तहसीलदार उदयपुरवाटी

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 13.02.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
उनवानी महावीर बनाम मुकेश आदि मु.नं.
15/2023 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदन सिंह गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2023 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

किया जिसमें अपीलानट को बिना पक्षकार बनाये दिनांक 13.02.2023 को निर्णय पारित किया जिस निर्णय से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने के कारण विचाराधीन आदेश के विरूद्ध धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.01.2023 को न्यायालय में कस्बा उदयपुरवाटी के हाल भूमि खसरा नम्बर 1771, 1807, 1808, 1809 किता 4 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पेश किया गया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार कभी भी नहीं रहा और ना ही मौके पर कभी काबिज काश्त रहा है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्ट नम्बर संख्या 3 व 4 को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 14 को जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार है, को बिना पक्षकार बनाये न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई करते हुए एकपक्षीय आदेश दिनांक 13.02.2023 को विचारण न्यायालय ने रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के लिए आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने न्यायालय के समक्ष दावा वर्ष 2015 में पेश किया था जिसमें तो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 लगायत 14 को पक्षकार बनाया गया जो अभी वास्ते तामील में ही चल रहा है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने बाला–बाला एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 23.01.2023 को पेश किया जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 लगायत 14 जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, को पक्षकार नहीं बनाया गया रेस्पोडेन्ट 3, 4 को ही पक्षकार बनाया गया जो रेस्पोडेन्ट से मिले हुये है उनको ही पक्षकार बनाकर न्यायालय में उनकी गलत रूप से तामील दिखाकर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही गलत रूप से दिखाकर न्यायालय से गलत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

एकपक्षीय आदेश पारित करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 स्व. मुखाराम पुत्र डूंगाराम के पुत्र है जिनके नाम से कभी भी विवादित जमीन का राजस्व रिकार्ड नहीं रहा है तथा ना ही मुखाराम पुत्र डूंगाराम के नाम से कभी भी राजस्व रिकार्ड नहीं रहा है और ना ही विवादित जमीन का कभी कब्जा काश्त रहा है प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 3 में जो सजरा खानदान दिखाया गया है वह भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने गलत दिखाया है। डूंगाराम बल्लूराम का पुत्र होना दर्शाया है जबकि डूंगाराम बल्लू का पुत्र नहीं था बल्लूराम तो ना औलाद फौत हुआ है डूंगाराम ग्राम सिंघाना का रहने वाला था जिसको पोकर की मृत्यु जवान अवस्था में हो जाने के बाद पोकर की औरत के पास आकर रहने लग गया तथा पोकर की मृत्यु हुई उस समय उसके एक लड़का सुरजाराम ही था फिर पोकर की औरत के साथ डूंगाराम पति, पत्नी के रूप में रहने से मुखाराम पैदा हुआ परन्तु मुखाराम का पोकर की जमीन से कोई लेना देना है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 3 में गलत सजरा दर्शाया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने न्यायालय को मुगालते में रखकर गलत एकपक्षीय आदेश पारित करवाया है जो जैर बहस खारिज होने योग्य है। मूल दावे में तारीख पेश दिनांक 21.01.2023 थी उसके बाद तारीख पेशी दिनांक 01.05.2023 वास्ते तामील नियत थी परन्तु अपीलान्ट ने दिनांक 23.01.2023 को बाला–बाला एक प्रार्थना पत्र बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये ही पेश किया है जबकि मूल दावे में भी अपीलान्ट की तलबी नहीं हुई थी इस प्रकार अपीलान्ट को बिना सुने न्यायालय ने दिनांक 13.02.2023 को एकपक्षीय आदेश पारित करने की कानूनी भूल की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है इस कारण विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 13.02.2023 खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय न्यायालय का द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। धारा 5 धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को अनावेदकगण गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में भूमि को बेचान करने व भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकूक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढ़े इसके लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है एवं अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होने के कारण धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि के अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना विचाराधीन निर्णय प्राप्त किया है। विचारण न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर